प0 सं0–14/डी0एल0ए0 वैशाली (विद्युत उपकेन्द्र)–वैशाली–04/11–2759/रा0, पटना–15, दिनांकः– 03/12/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना
(जिला भू–अर्जन कार्यालय)
वापसी अधिसूचना

भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा– 4 के तहत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 33/11 के0भी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए मौजा खोकसा बुजुर्ग थाना नं0 440 जिला वैशाली में कुल 0.76 एकड़ भूमि से संबंधित अधिसूचना संख्या 2252 दिनांक 05.12.2011 निर्गत किया गया था, जिसे दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 18.12.2011 को एवं प्रभात खबर में दिनांक 19.12.2011 को प्रकाशित किया गया था। जिला गजट संख्या 19, दिनांक 03.02.2012 से जिला गजट में प्रकाशन किया गया था।

कार्यपालक अभियंता विधुत प्रमण्डल हाजीपुर (अधियाची विभाग) के पत्रांक 609 दिनांक 04.04.13 के आलोक में उक्त 0.76 एकड़ अर्जनाधीन भूमि, भू–अर्जन अधिनियम की धारा 48 के तहत अर्जन से वापस किया जाता है।

खेसरा अनुसूचि

खाता	खेसरा	रकवा
39	435	0.16 डी0
179	436	0.41 डी0
115	437	0.19 डी0
		0.76 डी0

समाहर्त्ता

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2759/रा0 **दिनांक** : 03-12-13

प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को आठ प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्त्ता, वैशाली/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू–अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, हाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता वैशाली

ह0 3/12/13

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।